न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारीः- **मयंक पालीवाल, RJS**
निय.आप.प्रकरण संख्याः- **2598/2017**
सी.आई.एस. प्रकरण संख्याः- **2598/2017**
सी.एन.आर. नम्बरः- **RJSM**020047982017

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी **-अभियोगी**

बनाम

जगदीश पुत्र सुआलाल निवासी बिन्जारी थाना चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर। **-अभियुक्त**

अपराध अंतर्गत धारा 279, 336, 427 भारतीय दंड संहिता

उपस्थितः-

1. अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री जयराज सिंह, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

भाग प्रथम

A

परिवादी	हनुमान पुत्र लल्लू निवासी घोड़ी बावड़ी मोहल्ला आलनपुर सवाई माधोपुर
प्रस्तुतकर्ता	अभियोजन अधिकारी, सवाई माधोपुर
अभियुक्त का नाम व पता	जगदीश पुत्र सुआलाल निवासी बिन्जारी थाना चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री जयराज सिंह

B

अपराध की दिनांक	16-09-2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	16-09-2017
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	14-12-2017
आरोप सारांश सुनाये जाने की दिनांक	14-12-2017

साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	29-08-2019
निर्णय दिनांक	04-08-2026
दण्डादेश की दिनांक	-

भाग -द्वितीय

अ- अभियोजन गवाहान

क्रम सं.	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)**
पी.डब्ल्यू.1	हनुमान	परिवादी
पी.डब्ल्यू.2	धनराज	बयान 161 दं.प्र.सं.
पी.डब्ल्यू.3	रामराज	बयान 161 दं.प्र.सं.
पी.डब्ल्यू.4	संजय कुमार शर्मा	फर्द जप्ती ट्रेलर
पी.डब्ल्यू.5	पूरणमल	नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट का गवाह
पी.डब्ल्यू.6	राजेश	बयान 161 दं.प्र.सं.
पी.डब्ल्यू.7	रमेश	फर्द जप्ती का गवाह
पी.डब्ल्यू.8	तेजसिंह	मैकेनिकल मुआयना का गवाह
पी.डब्ल्यू.9	प्रहलाद	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू.10	डॉ. शिशिर बैरवा	चिकित्सकीय साक्षी

ब- बचाव गवाह

क्रम सं.	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)**
--		

स- न्यायालय गवाह

क्रम सं.	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह**
--		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ- अभियोजन प्रदर्शः

क्रम सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी.1	तहरीरी रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी.2	चाक एफ.आई.आर.
3	प्रदर्श पी.3	नक्शा मौका घटनास्थल
4	प्रदर्श पी.4	फर्द जप्ती ट्रेलर
5	प्रदर्श पी.4	नोटिस धारा 133 एम वी एक्ट
6	प्रदर्श पी.5	पुलिस बयान राजेश
7	प्रदर्श पी.6	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
8	प्रदर्श पी.7	रोजनामचा रपट
9	प्रदर्श पी.8	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त जगदीश
10	प्रदर्श पी.9	मेडिकल मुआयना
11	प्रदर्श पी.10	चैकिंग मीमो

ब- बचाव प्रदर्शः

क्रम सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	--	

स- न्यायालय प्रदर्शः

क्रम सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	--	

द- भौतिक वस्तुएंः

क्रम सं.	भौतिक वस्तु नम्बर	विवरण
	--	

निर्णय **दिनांक 04-08-2026**

01. उक्त प्रकरण का उद्भव पुलिस थाना कोतवाली, सवाई माधोपुर पर दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 524/2017 अपराध अंतर्गत धारा 279, 336, 427

भा.दं.सं. से हुआ है, जिसका बाद विचारण एतदद्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

02. इस आपराधिक प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी हनुमान ने पुलिस थाना कोतवाली सवाई माधोपुर पर दिनांक 16-09-2017 को एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की थी कि दिनांक 16-09-2017 को सांय 5.30 बजे अंहिसा सर्किल के आगे मण्डी गेट आलनपुर पर उसके साईड में खड़े पतासी के ठेले व PWD ठेकेदार राजेश की खड़ी मिक्चर मशीन के शहर से बजरिया की ओर जा रहे ट्रोला नम्बर RJ 08-GA-1764 को उसके चालक ने तेज रफ्तार, गफलत लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी, जिससे पूरा ठेला टूट गया व ठेले में रखा काउण्टर, डिब्बे, पतासी बिखर गये। मौके पर ड्राईवर को पकड़ लिया .... इत्यादि।

03. उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोतवाली सवाई माधोपुर में एफ.आई.आर. संख्या 524/2017 अपराध अंतर्गत धारा 279, 336, 427 भा.दं.सं. में पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद अनुसंधान न्यायालय में अभियुक्त जगदीश के विरूद्ध धारा 279, 336, 427 भा.दं.सं. के अपराध प्रमाणित पाते हुए उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराधों में आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय द्वारा उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04. तत्पश्चात् अभियुक्त को धारा 279, 336, 427 भा.दं.सं. के अपराधों के आरोप की विशिष्टियाँ मौखिक रूप से सुनाई व समझाई गई तो अभियुक्त ने आरोप सुन व समझकर उक्त आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर साक्ष्य अभियोजन तलब की गई।

05. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निर्णय के पृष्ठ संख्या 2 पर भाग द्वितीय में बिन्दु संख्या "अ" में वर्णित गवाहान को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया है तथा प्रलेखीय साक्ष्य में पृष्ठ संख्या 3 पर बिन्दु संख्या "अ" में अंकित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया है।

06. अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत किया किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आयी साक्ष्य को गलत होना

बताया। साथ ही प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा, जिस पर प्रतिरक्षा साक्ष्य का अवसर बंद किया गया।

07. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई।

08. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि अभियुक्त द्वारा लोक मार्ग पर ट्रेलर नम्बर RJ 08-GA-1764 को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर रोड़ पर साईड में खड़े परिवादी हनुमान के ठेले को टक्कर मारी गई, जिससे परिवादी का ठेला टूट गया व उसमें रखा सामान बिखर गया व परिवादी को नुकसान कारित हुआ। उक्त तथ्यों की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से होती है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित कर कठोरतम दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया गया।

09. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस यह कथन किया है कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे गलत प्रकार से प्रकरण में संलिप्त किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक के रूप में अभियुक्त जगदीश की पहचान प्रमाणित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है। ऐसे में अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर पाया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

10. सुना गया। बहस के प्रकाश में पत्रावली का व सुसंगत विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण के न्यायपूर्ण विनिश्चयार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 16-09-2017 को समय सांय 5.30 बजे या इसके लगभग मण्डी गेट, आलनपुर के सामने लोकमार्ग पर वाहन ट्रेलर नम्बर RJ 08-GA-1764 को उतावलेपन, लापरवाही व तेज गति से चलाकर मानव जीवन को संकटापित किया व रोड़ पर साईड में खड़े परिवादी हनुमान के पतासी के ठेले का टक्कर मारी, जिसके फलस्वरूप परिवादी का ठेला टूट गया व उसमें रखा सामान बिखर गया व इस प्रकार परिवादी को नुकसान कारित कर अभियुक्त ने रिष्टी कारित की ?

2. यदि उक्त विचारणीय प्रश्न का उत्तर हाँ में हो तो अभियुक्त को क्या उचित दंड दिया जावे?

11. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में यदि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन, विश्लेषण व मूल्यांकन किया जावे तो अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कहानी को साबित करने हेतु कुल 10 गवाहान को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया है, जिनमें से गवाह पी.ड.-1 हनुमान प्रकरण का परिवादी व पीड़ित है, जिसने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि 16.09.2017 को अनाज मण्डी के सामने वह अपना पतासी का ठेला लेकर खडा हुआ था तथा चाय पीने के लिए रूका था तो एक ट्रोला जिसके नम्बर आरजे 08-1764 थे, शहर की तरफ से बजरिया की तरफ आ रहा था। जिसके चालक ने उक्त वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर उसके ठेले के टक्कर मार दी। जिसे लोगों ने वहीं पकड़ लिया। ट्रोला को जगदीश चला रहा था। टक्कर मारने से अपना पूरा ठेला टूट जाना, पूरे सामान बिखर जाना बताते हुए गवाह ने स्वयं द्वारा इसकी पुलिस थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराना बताया है तथा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1, चाक एफआईआर प्रदर्श पी-2 व नक्शा मौका प्रदर्श पी- 3 पर अपने हस्ताक्षर होना कहा है।

12. जिरह में स्वीकार करता है कि वह ट्रोले के चालक को पहले से नहीं जानता था। यह भी स्वीकार करता है कि उसका ठेला रोड़ पर खड़ा हुआ था। उसने रिपोर्ट वकील साहब से लिखवायी थी। रिपोर्ट में काटा फांसी उसने नहीं की। प्रदर्श पी-1 का सी से डी भाग पुलिस वालों ने लिखा होगा। उसके स्वयं के कोई चोट नहीं आना बताया है। ट्रोले के नंबर किसने बताये, यह याद नहीं होना कहा है। तत्पश्चात् नम्बर धनराज द्वारा बताये जाना कहता है। नक्शा मौका में वह नहीं समझता। नक्शा मौका पर उसके हस्ताक्षर थाने पर करवाये थे। उसके एक साईन अनाज मण्डी में व एक साईन कोतवाली थाने में कराये थे। गवाह ने इस बात का गलत होना बताया है कि उसने बीच रोड़ पर डिवाईडर के पास ठेला लगा रखा हो तथा ट्रोले के पीछे का हिस्सा ठेले से अड़ जाने के कारण उसका ठेला टूटा हो।

13. गवाह पी.ड.-2 धनराज ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि करीब दो साह पहले अनाज मण्डी के सामने हनुमान रोड़ पर अपने पतासी के ठेले को खड़ा करके उसकी दुकान पर चाय पीने आया तो

शहर की तरफ से बजरिया की तरफ आ रहे एक ट्रोला जिसके नम्बर आरजे 08-1764 थे, के चालक ने ट्रोले को तेज गति व लापरवाही से चलाकर ठेले के टक्कर मार दी, जिससे ठेला बुरी तरह टूट जाना व वहाँ खड़ी एक मिक्चर मशीन का नाले में गिर जाना गवाह ने बताया है। ट्रोले वाले का वहाँ से भाग जाना जिसे पुलिया पर पकड़ लियश जाना बताते हुए गवाह ने नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। **जिरह** में कथन किया है कि ट्रोला वाला टक्कर मारकर भाग गया, जिसे वह शक्ल से नहीं पहचान पाया और आज भी शक्ल से नहीं जानता। नक्शा मौका घटना के कितने दिन बाद बनाया, यह मालूम नहीं होना कहा है।

14. गवाह पी.ड.-3 रामराज ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि करीब दो ढाई साल पहले उसकी दुकान के सामने हनुमान का पतासी का ठेला रोड़ पर खड़ा था तो आलनपुर की तरफ से आ रहे ट्रोला नम्बर आरजे 08-1764 से ठेला बुरी तरह टूट गया। वहाँ खड़ी एक मिक्चर मशीन भी नाले में गिर गई। ट्रोले वाले का वहाँ से भाग जाना जिसे हम्मर पुल पर पकड़ लिया जाना बताते हुए गवाह ने नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 पर अपने हस्ताक्षर होना कहा है। **जिरह** में ट्रोले का ड्राईवर कौन था, पता नहीं होना कहा है। घटना की तारीख याद नहीं होना बताया है। गवाह ने आगे कथन किया है कि ट्रोले वाला टक्कर मारकर भाग गया, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाया और न ही आज पहचान सकता है।

15. गवाह पी.ड.-4 संजय कुमार शर्मा तत्कालीन कानि. थाना कोतवाली सवाई माधोपुर ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में स्वयं के समक्ष एक ट्रेलर नम्बर आरजे 08-जीए-1764 को जरिये फर्द जप्ती प्रदर्श पी-4 जप्त किया जाना व उक्त फर्द पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। **जिरह** में कथन किया है कि ट्रेलर के इंजन नंबर व चैसिस नम्बर वह नहीं बता सकता। ट्रेलर में कोई पार्ट क्षतिग्रस्त नहीं था। फर्द जप्ती हैड कानि० प्रहलाद द्वारा बनायी जाना बताते हुए फर्द जप्ती बनाते समय रमेश गुर्जर का भी हेड कानि. प्रहलाद के साथ मौजूद होना बताया है।

16. गवाह पी.ड.-5 पूरणमल नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट का गवाह है, जिसने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसके छह चक्का ट्रोला नम्बर आरजे 08 जीए 1764 से दिनांक 16-09-20178 को एक्सीडेंट हुआ था, जिसे जगदीश चला रहा था। स्वयं को मिले नोटिस 133 एमवी

एक्ट प्रदर्श पी-4 पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर व जवाब होना बताया है। **जिरह** में कथन किया है कि उसके नोटिस पर खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। उसमें क्या लिखा था, उसे नहीं पता। एक्सीडेंट व प्रदर्श पी-4 के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है।

17. गवाह पी.ड.-6 राजेश ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसे हनुमान ने फोन करके बताया था कि मिक्सर मशीन के एक ट्रक ने टक्कर मार दी है। ट्रक के नम्बर पता नहीं होना गवाह ने कहा है। उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है, जिसने अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में पुलिस बयान प्रदर्श पी-5 का ए से बी भाग सही होना व तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। **जिरह** स्वयं के मौके पर मौजूद नहीं होने की बात स्वीकार की है। ट्रक कौन चला रहा था, उसे पता नहीं है। गवाह ने हनुमान के कहने पर प्रदर्श पी-1 तहरीरी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना कहा है तथा प्रदर्श पी-5 का ए से बी भाग हनुमान द्वारा बताया जाना लेकिन गवाह द्वारा ए से बी भाग पुलिस को नहीं बताया जाना कहता है।

18. गवाह पी.ड.-7 रमेश गुर्जर ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में फर्द जप्ती बोलेरो प्रदर्श पी-4 पर अपने हस्ताक्षर होना तो माना है, लेकिन स्वयं के सामने बोलेरो जप्त की हो, इसकी जानकारी से इंकार किया है। उक्त गवाह पक्षद्रोही हुआ है, जिसने अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि फर्द जप्ती प्रदर्श पी-4 पर सी से डी हस्ताक्षर उसके ही है, लेकिन उसने यह हस्ताक्षर कब किये व कहाँ किये, आज याद नहीं है। गवाह ने घटना के बारे में कुछ पता नहीं होना व हस्ताक्षर किस संबंध में किये, इस बारे में कोई जानकारी नहीं होना कहा है।?

19. गवाह पी.ड.-8 तेजसिंह ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 18-09-2017 को थाना कोतवाली पर चालक कानि. के पद पर कार्यरत रहते हुए प्रकरण में जप्तशुदा ट्रेलर आरजे 08 जीए 1764 का उसने मैकेनिकल मुआयना किया था, जिसका रोड़ टेस्ट लिया तो सभी यांत्रिक सिस्टम सही कार्य कर रहे थे। एमटीओ रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 पर अपने हस्ताक्षर होना गवाह ने बताया है। **जिरह** में इस बात का सही होना कहा है कि उक्त वाहन में किसी भी तरह का कोई डेन्ट या टूट फूट नहीं थी।

20. गवाह पी.ड.-9 प्रहलाद मीना प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 16-09-2017 को कन्ट्रोल रूम से सूचना मिलने पर मय जाप्ता मोके पर पहुंचकर अवरूद्ध यातायात को चालू करवाया। राजनामचा रपट प्रदर्श पी-7 है। चालक ने शराब पी रखी थी, जिस पर वाहन को 185/207 एमवी एक्ट में जप्त कर चालक जगदीश को जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-8 गिरफ्तार किया। मुलजिम का मेडिकल मुआयना प्रदर्श पी-9 करवाया। चैकिंग मीमो प्रदर्श पी-10 है। परिवादी हनुमान द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 व चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी-2 है। गवाह ने प्रकरण में स्वयं द्वारा अनुसंधान करना बताते हुए यह कथन किया है कि उसने दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 बनाया, गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये, ट्रेलर आरजे 08 जीए 1764 को जरिये फर्द जप्ती जप्त किया, ट्रेलर मालिक पूरणमल को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी-4 दिया जिस पर वाहन मालिक के हस्ताक्षर व जवाब अंकित है, जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल मुआयना करवाकर रिपोर्ट व जप्तशुदा वाहन के दस्तावेजात की फोटोप्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। अनुसंधान से मुलजिम जगदीश के विरूद्ध धारा 279, 336, 427 भा.दं.सं. का जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली एसएचओ प्रेम बहादुर सिंह को सुपुर्द किया जाना व उनके द्वारा आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया जाना गवाह ने बताया है।

21. जिरह में कथन किया है कि उसने किसी स्वतंत्र गवाह के बयान नहीं लिये। नक्शा मौका घटना के एक दिन बाद दिनांक 17-09-2017 को बनाया था। घटनास्थल की उसने कोई वीडियोग्राफी नहीं की। फर्द जप्ती प्रदर्श पी-4 उसने दिनांक 17-09-2017 को बनायी थी।

22. गवाह पी.ड.-10 डॉ. शिशिर बैरवा प्रकरण में चिकित्सकीय साक्षी है, जिसने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 16-09-2017 को जगदीश के शराब एवं चोटों का मेडिकल मुआयना स्वयं द्वारा किया जाना बताया है। गवाह ने जगदीश के शरीर पर कुल 6 चोटें होना, जगदीश के मुंह से शराब की बू आना, दोनो प्यूपिल सेमीडाईलेटेड होना व अपनी राय में जगदीश का शराब का सेवन किया जाना पाया जाना बताया है। गवाह ने मेडिकल मुआयना प्रदर्श पी-9 पर अपने हस्ताक्षर होना कहा है। जिरह में इस बात को स्वीकार किया है कि उक्त चोटें अनियंत्रित होकर ठोस

धरातल पर गिरने से आना संभव है। शराब के मेडिकल मुआयने के दौरान कोई सेम्पल एफएसएल जांच हेतु नहीं लिया गया।

23. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 336, 427 भा.दं.सं. के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षियों की साक्ष्य व प्रदर्शित कराये गये दस्तावेजात के आधार पर न्यायालय का निष्कर्ष इस प्रकार है कि हस्तगत प्रकरण मजरूब हनुमान की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 पर दर्ज किया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 16-09-2017 को शाम 5.30 बजे अहिंसा सर्किल के आगे मण्डी रोड़ आलनपुर पर मजरूब के पतासी के ठेले को ट्रोला नम्बर RJ 08-GA-1764 के चालक ने ट्रोले को लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी। उल्लेखनीय है कि स्वयं मजरूब अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में उक्त ट्रोले के चालक के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं करता है। वहीं दौराने परीक्षण अपने सशपथ बयानों में भी मजरूब पी.ड.-1 हनुमान द्वारा जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त में स्वीकार किया है कि वह ट्रोले के चालक को पहले से नहीं जानता था। उसका ठेला रोड़ पर खड़ा था। रिपोर्ट उसने वकील साहब से लिखवायी थी। वह पढ़ना नहीं जानता। प्रदर्श पी-1 रिपोर्ट में हो रही काटा फासी उसके द्वारा नहीं की गई। प्रदर्श पी-1 का सी से डी भाग उसने नही लिखा है। स्वयं मजरूब इस संदर्भ में भी स्पष्ट कथन करने में असफल रहा है कि ट्रोले के नंबर उसे किसने बताये। नक्शा मौका में क्या-क्या लिखा है, उसे पता नहीं है। नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 पर थाने पर हस्ताक्षर करवाये थे। इस प्रकार स्वयं मजरूब हनुमान न तो कथित रूप से दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के संबंध में कोई कथन करता है और न ही उसके ड्राईवर अर्थात् चालक के संबंध में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल रहा है। इसी क्रम में अन्य गवाह पी.ड.-2 धनराज व पी.ड.-3 रामराज द्वारा भी जिरह में स्वीकार किया गया है कि ट्रोले के चालक को वे शक्ल से नहीं पहचानते। गवाह धनराज नक्शा मौका घटना के कितने दिन बाद बनाया, यह भी पता नहीं होना जिरह में बताता है तथा गवाह रामराज ट्रोले का ड्राईवर कौन था व घटना की तारीख के बारे में पता नहीं होना कहता है। धारा 133 एमवी एक्ट के नोटिस के गवाह पी.ड.-5 पूरणमल द्वारा भी जिरह में यह कथन किया गया है कि नोटिस प्रदर्श पी-4 में क्या लिखापढ़ी थी, उसे पता नहीं है। उसे एक्सीडेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी क्रम में गवाह पी.ड.-6 राजेश व पी.ड.-7 रमेश गुर्जर पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होने किसी भी

तथ्य विशेष पर अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं की है। मैकेनिकल मुआयना का गवाह पी.ड.-8 तेजसिह द्वारा जिरह में यह स्वीकार किया गया है कि वाहन में किसी भी तरह का कोई डेन्ट व टूट फूट नहीं थी। प्रकरण में परीक्षित अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड.-9 प्रहलाद मीना द्वारा जिरह में यह स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा दौराने अनुसंधान किसी भी स्वतंत्र गवाह के बयान नहीं लिये गये।

24. धारा 279, 336 भा.दं.सं. से संबंधित प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि उक्त धाराओं के घटकों के प्रकाश में अभियोजन को सर्वप्रथम यह साबित करना होगा कि अभियुक्त द्वारा ही वरवक्त घटना दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को लोकमार्ग पर संचालित किया जा रहा था। परंतु हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये किसी भी साक्षी द्वारा इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय के समाधान में प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि वरवक्त घटना कथित दुर्घटना कारित करने वाले ट्रोला नम्बर RJ 08-GA-1764 को अभियुक्त जगदीश द्वारा ही लापरवाही पूर्वक लोकमार्ग पर संचालित किया जा रहा हो।

25. ऐसे में उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त जगदीश ने दिनांक 16-09-2017 को समय सांय 5.30 बजे या इसके लगभग मण्डी गेट, आलनपुर के सामने लोकमार्ग पर वाहन ट्रेलर नम्बर RJ 08-GA-1764 को उतावलेपन, लापरवाही व तेज गति से चलाकर मानव जीवन को संकटापित किया व रोड़ पर साईड में खड़े परिवादी हनुमान के पतासी के ठेले का टक्कर मारी, जिसके फलस्वरूप परिवादी का ठेला टूट गया व उसमें रखा सामान बिखर गया व इस प्रकार परिवादी को नुकसान कारित कर अभियुक्त ने रिष्टी कारित की। अतः ऐसे में अभियुक्त जगदीश के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 336 व 427 भा.दं.सं. युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं तथा अभियुक्त उक्त अपराधों के आरोपों में दोषमुक्ति का पात्र है।

<u>आदेश</u>

26. अतः अभियुक्त जगदीश पुत्र सुआलाल निवासी बिन्जारी थाना चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279,

336, 427 भा.दं.सं. में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पूर्व से सुपुर्दगी पर है, जिसके संबंध में लिये गये जमानत नामा व सुपुर्दगी नामा बाद गुजरने मियाद अपील स्वतः निरस्त समझे जावे। वाहन सुपुर्दगीदार के पास रहे। अभियुक्त के इस प्रकरण में नियमित तारीख पेशी पर उपस्थित होने बाबत् पूर्व में लिये गये जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(मयंक पालीवाल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

27. निर्णय आज दिनांक 04-08-2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(मयंक पालीवाल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर